Case File Number: KL-47926-RF-XR-004

Issuance Date: 25/01/2020

Document Number: 20-LOEE-473543

Expiry Date: 25/01/2025

REGISTRATION FOR OPERATION OF MEDICAL DIAGNOSTIC X-RAY EQUIPMENT

In exercise of powers conferred under Section 16 and 17 as applicable of Atomic Energy Act, 1962 read in conjunction with Rule (3) of the Atomic Energy (Radiation Protection) Rules {AE(RP)R}, 2004, the Atomic Energy Regulatory Board (AERB) hereby issues **Registration** in favour of Dr. PREBHUDAS R to operate the following medical diagnostic x-ray equipment located at GOVERNMENT TRIBAL SPECIALITY HOSPITAL, KOTTATHARA ATTAPADY PALAKKAD, PALAKKAD, KERALA-678581 for medical diagnostic purpose.

Type of Equipment	Manufacturer	Model	Equipment ID
C-Arm	M/s. Prognosys Medical Systems Private Limited	ProRAD Premium-I	G-XR-125216

The **SUPERINTENDENT, GOVERNMENT TRIBAL SPECIALITY HOSPITAL, PALAKKAD** and **DR. PREBHUDAS R** are hereby identified as the Employer and licensee respectively, for the purpose of assigning the responsibilities specified in the Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004, in respect of radiation protection of workers, public and environment because of operation of the above equipment.

The Employer and Licensee are responsible for,

I. Ensuring compliance with the relevant provisions of the
   i. Atomic Energy Act, 1962
   ii. Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004;
   iii. AERB Safety Code (AERB/SC/Med-2), 2001, Amendment 2012, and the revisions thereof
   iv. All applicable Safety Codes, Guides issued by AERB for the above practice and regulatory documents issued by AERB from time to time.
   v. Directives issued by Competent Authority from time to time.
II. Ensuring compliance with terms and conditions stated overleaf.

Note:
This Registration is issued ONLY from the RADIATION SAFETY VIEW POINT. All other clearances shall be obtained from concerned state/central/local authorities as applicable.

Dr. P. K. Dash Sharma
Head, RSD

DR. PREBHUDAS R

GOVERNMENT TRIBAL SPECIALITY HOSPITAL
KOTTATHARA ATTAPADY PALAKKAD,
PALAKKAD, KERALA-678581

Copy to: SUPERINTENDENT, GOVERNMENT TRIBAL SPECIALITY HOSPITAL, PALAKKAD

TERMS AND CONDITIONS

1. No activity will be carried out by your institute for purposes other than those specified in this Licence.
2. The regulatory responsibilities of the employer, licensee and RSO as laid down in the Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004 or the latest revision of AERB Safety Code (AERB/SC/Med-2) shall be adhered to.
3. Availability of qualified and trained personnel and personnel monitoring service for radiation workers shall be ensured all the time.
4. Availability of services of a qualified radiologist or related medical practitioner, with adequate knowledge of radiation protection for interpretation and reporting shall be ensured all the time.
5. Full facilities shall be accorded to any authorised representatives of the competent authority to inspect the facility at any time. Records on manufacturing/supply/Quality Assurance Tests /Type Approvals shall be made available.
6. The periodic safety status report of x-ray equipment in the possession of the institution shall be submitted to AERB.
7. The x-ray shall not be sold or otherwise transferred to another person without obtaining the specific permission from AERB.
8. In case of change in layout/change in positioning/change in location of x-ray equipment prior permission shall be obtained from regulatory body.
9. Any incident involving radiation exposure to person from this x-ray equipment shall be immediately intimated to AERB.
10. Licence shall be renewed before its expiry.
11. A copy of this Licence shall be displayed in a prominent location in the control room of x-ray equipment.
12. This license may be suspended, modified or withdrawn as specified in the Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004, in the event of contravention of the provisions of the above Act / Rules / Codes or terms and conditions of the Licence. Where deemed appropriate, AERB may also initiate penal action against the Employer/licensee in such an event.
13. In case there is change in information contained in this licence after its issuance, such as change of Licensee, Employer, name of institution, address etc., and changes such as addition/ decommissioning of Medical X-ray equipment it shall be ensured by licensee that the necessary amendment to this effect to the licence is obtained from the Competent Authority.
14. The X-ray equipment shall be operated by qualified personnel trained in radiation safety. No radiation worker shall be allowed to operate the X-ray equipment without TLD badge/PMS

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Case File Number: KL-47926-RF-XR-004

Issuance Date: 25/01/2020

Document Number: 20-LOEE-473543

Expiry Date: 25/01/2025

मेडिकल डाइग्नोस्टिक एक्स–रे उपकरण के प्रचालन हेतु पंजीकरण

परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 16 तथा 17 जो कि लागू हो, के साथ पठित परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम [एई (आरपी)आर], 2004 के नियम (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) एतद्द्वारा Dr. PREBHUDAS R के पक्ष में GOVERNMENT TRIBAL SPECIALITY HOSPITAL, KOTTATHARA ATTAPADY PALAKKAD, PALAKKAD, KERALA-678581 स्थित निम्नलिखित मेडिकल डाइग्नोस्टिक एक्स–रे उपकरणों का मेडिकल डाइग्नोस्टिक उद्देश्य हेतु प्रचालन करने के लिए पंजीकरण जारी करता है।

उपकरण का प्रकार	विनिर्माता	मॉडल	उपकरण का आईडी
C-Arm	M/s. Prognosys Medical Systems Private Limited	ProRAD Premium-I	G-XR-125216

उपरोक्त उपकरण के प्रचालन के कारण कार्मिकों, जनता तथा पर्यावरण के विकिरण से संरक्षण के संबंध में परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 में विनिर्दिष्ट जिम्मेदारियों को सौंपने के उद्देश्य हेतु **SUPERINTENDENT, GOVERNMENT TRIBAL SPECIALITY HOSPITAL, PALAKKAD** तथा **DR. PREBHUDAS R** को क्रमश: नियोक्ता तथा अनुज्ञप्तिकर्ता के रूप में पहचाना गया है।

NA

नियोक्ता तथा अनुज्ञप्तिकर्ता निम्न के लिए उत्तरदायी हैं,

I. निम्नलिखित के संगत प्रावधानों सहित अनुपालन सुनिश्चित करना

i.परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962

ii. परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004;

iii. एईआरबी संरक्षा संहिता (एईआरबी/एससी/एमईडी–2), 2001, संशोधित 2012 तथा इसके संशोधन

iv. उपरोक्त कार्यों के संबंध में एईआरबी द्वारा जारी किये गये सभी संरक्षा संहिताएं, दिशानिर्देश तथा एईआरबी द्वारा समय– समय पर जारी किये गये विनिमायक दस्तावेज़

v. सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशानिर्देश।

II. पिछले पृष्ठ पर दर्शाये गये निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

नोट :–

यह पंजीकरण केवल विकिरण संरक्षा के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।अन्य सहमतियाँ संबंधित राज्य/केंद्र/स्थानीय प्राधिकरणों से प्राप्त करनी होंगी।

(डॉ. पी के दाश शर्मा) प्रभागाध्यक्ष, आरएसडी

DR. PREBHUDAS R, SUPERINTENDENT
GOVERNMENT TRIBAL SPECIALITY HOSPITAL
KOTTATHARA ATTAPADY PALAKKAD,
PALAKKAD, KERALA-678581
CC: SUPERINTENDENT, GOVERNMENT TRIBAL SPECIALITY HOSPITAL, PALAKKAD

निबंधन तथा शर्तें

1. इस पंजीकरण में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए संस्थान द्वारा गतिविधियां नहीं की जानी हैं।

2. परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 अथवा एईआरबी संरक्षा संहिता (एईआरबी/एससी/एमईडी–2) में दी गई नियोक्ता, अनुज्ञप्तिकर्ता तथा आरएसओ की विनिमायक जिम्मेदारियों का पालन करना होगा।

3. विकिरण कार्मिकों के लिए योग्यता प्राप्त एवं प्रशिक्षित कार्मिकों तथा कार्मिक मॉनिटरिंग सेवा की सभी समय के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।

4. व्याख्या और रिपोर्टिंगके लिएअर्हता प्राप्तरेडियोलॉजिस्टअथवासंबंधितचिकित्सक, जिसकोविकिरण सुरक्षाकी पर्याप्त जानकारीहो, की सेवाओं की सभी समय के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।

5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किये गये प्रतिनिधियों को किसी भी समय निरीक्षण करने हेतु सम्पूर्ण सुविधाएँ दी जानी चाहिए। विनिर्माण/आपूर्ति/गुणवत्ता आश्वासन परीक्षणों/टाइप अनुमोदनों का अभिलेख उपलब्ध करवाना होगा।

6. संस्थान के स्वामित्व वाले एक्स–रे उपकरणों की सावधिक संरक्षा स्थिति रिपोर्ट एईआरबी को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

7. एईआरबी से विशेष अनुमति लिये बिना एक्स–रे उपकरण को न बेचा जाए और नही इसे किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित किया जाए।

8. लेआऊट में कोई परिवर्तन/एक्स–रे उपकरण की स्थिति/स्थान में कोई परिवर्तन करना हो तो विनिमायक निकाय की पुर्वानुमति लेनी होगी।

9. इस एक्स–रे उपकरणसे किसी प्रकार के विकिरण उद्भासन की कोई घटना होती है तो इसकी सूचना तुरंत एईआरबी को देनी है।

10. पंजीकरण के समाप्त होने के पूर्व इसका नवीकरण कराना होगा।

11. इस पंजीकरण की एक प्रति एक्स–रे उपकरण/संस्थापन के पास स्पष्ट दिखें ऐसी जगह पर प्रदर्शित की जानी होगी।

12. परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 में विनिर्दिष्ट के अनुसार इस अधिनियम/नियम/संहिता के किसी प्रावधानों अथवा अनुज्ञप्ति के निबंधन एवं शर्तों में किसी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में यह अनुज्ञप्ति निलंबित, आशोधित की जा सकती है अथवा वापस ली जा सकती है। ऐसी किसी घटना में, जहाँ समुचित प्रतित होता हो, एईआरबी उक्त नियोक्ता/अनुज्ञप्तिकर्ता के विरुद्ध दण्ड की कार्रवाई भी कर सकता है।

13. इस पंजीकरण के जारी होने के बाद किसी सूचना जैसे अनुज्ञप्तिकर्ता, नियोक्ता, संस्थान का नाम, पता आदि में परिवर्तन अथवा मेडिकल एक स–रे उपकरण की संख्या में वृद्धि/विकमीशनन आदि के संबंध में कोई परिवर्तन होने की स्थिति में अनुज्ञप्तिकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इस बारे में पंजीकरण में आवश्यक संशोधन हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लिया गया है।

14.एक्सरे उपकरण विकिरण सुरक्षा में प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा संचालित किया जाएगा। कोई विकिरण कार्यकर्ता को टीएलडी बैज / पीएमएस के बिना एक दूसरे उपकरण संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।